

6

मा0उच्च न्यायालय प्रकरण / अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध ।

पत्र संख्या:अपर आयु0(पुलिस)/रिट याचिका सं0-328/S.S./2017/30नि0 राजेश सिंह स0पु0गाजियाबाद/ 681 राज्य कर  
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ  
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: 21 मार्च, 2023

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर,  
गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद ।

विषय:- रिट याचिका संख्या:-328/ एस0एस0/2017 राजेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में सप्लीमेन्ट्री  
काउण्टर एफीडेविट दाखिल कराये जाने विषयक ।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 648 दिनांक 24-02-2023 एवं पत्र संख्या 661 दिनांक  
09-03-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो रिट याचिका संख्या:-328/ एस0एस0/2017 राजेश सिंह बनाम उत्तर  
प्रदेश राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में है ।

सूच्य है कि याची श्री राजेश सिंह उ0नि0 स0पु0 द्वारा रिज्वाइण्डर एफीडेविट दाखिल किया गया है, जिसकी  
छायाप्रति मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ लखनऊ द्वारा अपर आयुक्त ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य)  
राज्य कर लखनऊ को प्रेषित करते हुए तत्काल सप्लीमेन्ट्री काउण्टर एफीडेविट दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है

ज्ञातव्य हो कि श्री राजेश सिंह उ0नि0 स0पु0 तत्समय (वर्ष 2000 से 2003 तक पुनः वर्ष 2005 से 2007  
तक)मोहन नगर जांच चौकी व्यापार कर गाजियाबाद (वर्तमान में राज्य कर विभाग) कार्यालय में पदस्थ थे । लगभग एक  
माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आज तक कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराया गया है।  
यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है ।

समसन्दर्भ में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त विषयक वाद के तथ्यों के सम्बन्ध में किसी  
भिन्न अधिकारी को नामित कर याचिका से सम्बन्धित नैरेटिव एवं तथ्यात्मक प्रस्तरवार आख्या तैयार कराकर  
परीक्षणोपरान्त अपने अनुमोदन सहित मुख्यालय से भी अनुमोदित कराकर अपर आयुक्त ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य0) राज्य कर  
लखनऊ एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ उ0प्र0 के माध्यम से मा0 न्यायालय में  
समयान्तर्गत राज्य कर विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सप्लीमेन्ट्री काउण्टर एफीडेविट दाखिल कराना सुनिश्चित करें ।

यदि वाद से सम्बन्धित मुख्यालय से किसी अभिलेख की आवश्यकता है तो उसे किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त  
कर सकते हैं । वाद की पैरवी से सम्बन्धित समयबद्ध कार्यवाही किये जाने में किसी प्रकार की कोई असहज स्थिति उत्पन्न  
होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

श्री. 25/3/22  
24.3.22  
D.C. (I.T.)  
21/03/23

7000

(प्रकाश स्वरुप पाण्डेय)  
आई0पी0एस0  
अपर आयुक्त (पुलिस ) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।


प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ ।

2-अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद ।

3-अपर आयुक्त ग्रेड-2 (30-न्या0कार्य) राज्य कर लखनऊ के पत्र संख्या 3273 दिनांक 21-02-2023 के सन्दर्भ में ।

✓ संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

  
21/3/23

अपर आयुक्त (पुलिस ) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।